8. सिक्योरिटी यूनिट

दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट पर भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, अन्य देशों और उनकी सरकारों के विदेशी प्रमुखों, केन्द्रीय केबीनेट के सदस्यों, सर्वोत्तम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, महत्वपूर्ण भारतीयों और दिल्ली आये हुये विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और एक बडी संख्या में वे व्यक्ति जिनकों आतंकवादियों और संगठित अपराधियों से विशिष्ट खतरों के मद्देनजर विशेष सुरक्षा कवच मिला हुआ है, के लिए सुरक्षा बन्दोबस्त के नियोजन और किर्यान्वयन की भारी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, यह यूनिट महत्वपूर्ण स्थानो जैसे कि संसद भवन, उपराज्यपाल आवास, दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, गृहमंत्री आवास, विधान सभा, उपराष्ट्रपति आवास इत्यादि की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।

जनवरी 2018 तक सिक्योरिटी यूनिट में, कैडर वाइज 7,209 संसंस्वीकृत जनशक्ति के प्रति 6,884 पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। हालांकि सिक्योरिटी यूनिट के अंतर्गत सभी प्रकोष्ठों में कुल संसंस्वीकृत जनशक्ति मात्र 6,256 है जोकि कुल कैडर वाइज संस्वीकृत जनशक्ति से मेल नहीं खाता है, जिसका दिल्ली पुलिस के द्वारा समाधान करने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस ने नौ प्रस्तावों में अतिरिक्त 7,263 कर्मियों की संस्वीकृति हेतु निवेदन किया था, जिनमें से 1,436 कर्मियों के लिए पाँच प्रस्तावों को गृ.मं. की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा अनुशंसा की गई (सितम्बर 2017)। हालांकि, इस मामले में आगे की कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित है।

"ई-ब्लॉक सिक्योरिटी लाईन" दिल्ली मे रह रहे पात्र संरक्षित व्यक्तियो (पीपी) को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए उतरदायी थी, और विजिटिंग पीपी प्रकोष्ठ", ऐसे पीपी को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए उत्तरदायी है जो कभी-कभी दिल्ली आते है। दिल्ली पुलिस के आकलन[54] के अनुसार, सभी पीपी की सुरक्षा हेतु 3896 पुलिस कर्मिको की आवश्यकता थी जिसके प्रति वर्तमान में ई-ब्लाक में मात्र 2661 पुलिस कर्मियों सक्रिय[55] ड्यूटी में तैनात थे अर्थात 32 *प्रतिशत* जनशक्ति की कमी थी।

---

[54] येलो पुस्तिका के अनुसार।

[55] ई-ब्लाक में कुल 2864 कर्मिक तैनात है, जिसमें से 203 प्रशासकीय कार्य पर है।

लेखापरीक्षा में पाया कि आवश्यकता के मुकाबले जनशक्ति की समग्र कमी के बावजूद भी 12 पीपी जो दिल्ली में नहीं रहे थे उनकी सुरक्षा में भी ई-ब्लाक से 207 पुलिस कर्मी स्थायी रुप से तैनात थे।

इसी प्रकार, 15 पीपी जो पड़ोसी राज्यों[56] में रह रहे थे, परन्तु सिक्योरिटी यूनिट (ई ब्लाक सिक्योरिटी लाईन) द्वारा उन्हें भी 24 घंटे सुरक्षा (54 पुलिस कर्मी) प्रदान की जा रही थी। मानदण्डों के अनुसार, उन्हें संबंधित राज्य सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी।

सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि वे पड़ोसी राज्यों में रह रहे पीपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित पड़ोसी राज्यों को सौंपने के लिये दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों के सम्पर्क में हैं तथा पीपी की दिल्ली में गैर-मौजूदगी के दौरान सुरक्षा के मोबाईल कम्पोनेन्ट्स को भी हटा रही है। सरकार, पड़ोसी राज्यों के साथ इस मामले पर संपर्क लगातार जारी रखें और पीपी को मोबाईल कम्पोनेन्ट्स का सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये समायोजन आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित करें।

सरकार, दिल्ली के बाहर रह रहे पीपी को प्रदान की गई सुरक्षा में लगाए 261 पुलिस कर्मियों संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करें।

[56] गुरुग्राम, हरियाणा, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश